

राजस्थान सरकार
कृषि निदेशालय, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- प.2 (सब)जी-39/ नि.कृ./गुप-9/4322-44 दिनांक 3-1-17

कार्यलय आदेश


राजस्थान सेवा नियमों के अध्याय 9 के नियम 56 के तहत निम्न सहायक कृषि अधिकारी जो कि अर्द्धवार्षिकी आयु 60 वर्ष पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं को उनके नाम के सामने कॉलम 4 में अंकित तिथि को मध्याह्न पश्चात राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र.स	नाम	जन्म तिथि	सेवानिवृत्त तिथि	कार्यरत कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5
1	श्री कमलचन्द जैन,	01-02-1957	31-01-2017	सहा.निदे.कृषि(वि) सोगानेर
2	श्री भंवर सिंह सोलंकी	01-03-1957	28-02-2017	सहा.निदे.कृषि(वि) बाली
3	श्री अर्जुन सिंह खिडिया	10-04-1957	30-04-2017	सहा.निदे.कृषि(वि) सोजत
4	श्री ज्योति कुमार चौबीसा	21-05-1957	31-05-2017	सहा.निदे.कृषि(वि) सांगवाडा
5	श्री मोहम्मद अनीस	01-07-1957	30-06-2017	सहा.निदे.कृषि(वि) डूंगरपुर
6	श्री भीकमचन्द पालीवाल	10-07-1957	31-07-2017	सहा.निदे.कृषि(वि) भीनमाल
7	श्री कृष्ण लाल रोट	05-08-1957	31-08-2017	सहा.निदे.कृषि(वि) डूंगरपुर
8	श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड	12-08-1957	31-08-2017	सहा.निदे.कृषि(वि) सोजत
9	श्री सुखदेव लाल जाट	02-01-1958	31-01-2018	सहा.निदे.कृषि(वि) सांगानेर

उपरोक्त कर्मचारियों के विरुद्ध:-

- 1 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण एवं अपील)नियम,1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच लम्बित नहीं है ।
- 2 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही लम्बित नहीं है ।
- 3 कोई न्यायिक कार्यवाहियां लम्बित नहीं है ।


उक्त आदेश निदेशक कृषि महोदय से अनुमोदित है।


(सोमेन्द्र शर्मा)
संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन)

क्रमांक:-प.2(सब)/जी-39/नि.कृ./गुप-9/4322-44 दिनांक:- 3-1-17

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1- संयुक्त निदेशक कृषि (वि0) जयपुर/जालौर/उदयपुर/
- 2- उप निदेशक कृषि (वि0) जिला परिषद जयपुर/पाली/डूंगरपुर।
- 3- सहा.निदे.कृषि (वि0)/सांगानेर/बाली/सोजत/सांगवाडा/डूंगरपुर/भीनमाल को भिजवाकर लेख है कि सेवानिवृत्ति अवधि तक उक्त कर्मिकों के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई जांच प्रस्तावित आदि होने पर तत्काल निदेशालय को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करे।
- 4- सम्बन्धित कर्मचारी श्री.....।
- 5- निजी पंजिका।


(उदयभान सिंह)
उप निदेशक कृषि (प्रशासन)